## (द) आचरण संबन्धी सामान्य नियम

1. महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिये प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है।
3. विद्यार्थी कक्षाओं के भीतर व बाहर शांत रहेंगे।
4. विद्यार्थी अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय व वाचनालय में करें।
5. विद्यार्थी घास के मैदानों एवं फूल पौधों का उचित संरक्षण एवं संबर्द्धन करें तथा नुकसान न पहुंचाये।
6. विद्यार्थी महाविद्यालय सम्पदा का उचित ढंग से उपयोग करे।
7. पूर्व छात्र प्राचार्य की लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्षा में बैठें।
8. अनुशासन भंग करना गंभीर अपराध है। अनुशासनहीन विद्यार्थी को दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है।
9. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये गये विद्यार्थी को छात्रवृति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जावेगी।
10. अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र पाने के लिये अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्थल धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, ज़र्दा, तम्बाकू एवं नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय अपराध होगा।
12. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय समय में अपना परिचय पत्र अपने पास रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के पूछे जाने पर दिखाना चाहिए।
13. दुराचरण या गंभीर दुराचरण करने पर दोषी विद्यार्थी के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम 88 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके अर्न्तगत दोषी विद्यार्थी को कुछ समय के लिये अथवा पूरे सत्र के लिये महाविद्यालय से निकाला जा सकता है।
14. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने वाले अथवा अधीक्षक के आदेशों की अवहेलना करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अधिनियम 152 के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जावेगा। विश्वविद्यालय अधिनियम एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम, 1992 व 152 की धारा 4 के अन्तर्गत अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उस प्रश्न पत्र की अथवा शेष समस्त प्रश्न पत्रों की परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
15. पुस्तकालय की पुस्तकों को दूसरे विद्यार्थियों के साथ हस्तान्तरित करना अथवा उनकी चोरी गंभीर अपराध माना जावेगा। तद्नुसार दोषी विद्यार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
16. कक्षा के अन्तर्गत तथा महाविद्यालय परिसर में की गई अनुशासनहीनता को गंभीर दुराचरण माना जावेगा और दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी।

17. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने महाविद्यालय परिवार के परिजनों के प्रति विनयशील रहें तथा महाविद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा स्वयं करें और हानि पहुंचाने वालों को रोकें और ऐसी घटनाओं को प्रशासन की जानकारी में लाऐं।
18. महाविद्यालय भवन जिसमें पुस्तकालय भवन, प्रयोगशाला भवन भी शामिल है की दीवारों पर कुछ भी न लिखें। यदि कोई विद्यार्थी दीवारों पर लिखते हुये पाया गया या जिसके समर्थन में लिखा गया है, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

## कक्षा

1. महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिये बिना विद्यार्थी को कक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा।
2. विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति शालीन रहें।
3. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने शिक्षक के आने से पूर्व अपनी कक्षाओं में प्रविष्ट हों तथा शिक्षक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रूके रहें।

## सभा स्थल

1. महाविद्यालय द्वारा आयेाजित किसी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी अतिथिगण, प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेश होने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर स्थान छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें।
2. प्रत्येक परिसंवाद और वाद–विवाद में विनम्रता, सम्मान और सद्व्यवहार अपेक्षित है।

## विश्वविद्यालय अध्यादेश 88

अगर कोई विद्यार्थी गंभीर दुर्व्यवहार अथवा जान बूझ कर कार्य की अपेक्षा करने का दोषी पाया गया तो प्राचार्य उसकी प्रवृति और अपराध की गम्भीरता से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उस विद्यार्थी को

1. एक माह तक महाविद्यालय से निलम्बित कर सकते हैं।
2. छः माह या एक शैक्षणिक सत्र के लिये निष्कासित कर सकते हैं।
3. दी जाने वाली परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर सकते हैं। निष्कासित विद्यार्थी महाविद्यालय की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

## रैंगिंग निषेध

भारत के उच्चत्तम न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि यदि महाविद्यालय मे रैगिंग सम्बन्धित कोई गतिविधि प्राचार्य के सामने आती है तो उसमें लिप्त विद्यार्थियों को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। यदि उनके जबाव से प्राचार्य संतुष्ट नहीं हुए तो विद्यार्थियों को महाविद्यालय से निष्काषित किया जा सकता है। (साभार– यू.जी.सी. भोपाल पत्र क्रमांक No. F, 1-8/2006 (CPP-II) दिनांक 4.3. 2008)

==========